शीर्ष प्राथमिकता/ समयबद्ध

संख्याः 519 /अड़तीस–5–2016–25 एम/2002

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा,
चित्रकूट एवं हमीरपुर।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 02 मई, 2016

विषयः– प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों /जल संस्थान को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु हस्तान्तरित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–177/अड़तीस–5–16–25एम/ 2002, दिनांक 16 मार्च, 2016 एवं शासनादेश संख्या–271/अड़तीस–5–16–25एम/ 2002, दिनांक 6 अप्रैल, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में निर्मित 137 पूर्णतः क्रियाशील एकल ग्राम पेयजल योजनाओं तथा 12 पूर्णतः क्रियाशील ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं जल संस्थानों को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक हस्तान्तरित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

2– इस सम्बन्ध में दिनांक 29 अप्रैल, 2016 को कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 137 पूर्णतः क्रियाशील एकल ग्राम पेयजल योजनाओं तथा 12 पूर्णतः क्रियाशील ग्राम समूह पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं सम्बन्धित जल संस्थानों को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक हस्तान्तरित किया जाना था। समीक्षा में यह पाया गया कि अभी तक मात्र 50 एकल ग्राम पेयजल योजनाओं एवं 04 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का ही हस्तान्तरण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों / जल संस्थानों को किया गया है, जो कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आसन्न पेयजल संकट के दृष्टिगत संतोषजनक स्थिति नही है।

3– अतः इस सम्बन्ध में आपका ध्यान पुनः आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार पेयजल योजनाओं को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों / जल संस्थानों को शतप्रतिशत हस्तान्तरित न होने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी/ उत्तर प्रदेश जल निगम एवं जल संस्थान के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर इस कार्य में शिथिलता के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए पेयजल योजनाओं के हस्तान्तरण की जनपदवार सूची सहित आख्या एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 419 (1)/अड़तीस–5–2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा/ झांसी मण्डल, झांसी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।